संलग्नक-4

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994[1]

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियम बनाये जायें।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका, अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1916) की धारा 12-ख की उपधारा (2) के साथ पठित 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी,

(2) यह उत्तर प्रदेश में सम्पन्न नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी,

2. परिभाषायें—इस नियमावली में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;

(ख) '1950 का अधिनियम' का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;

(ग) 'विधानसभा' का तात्पर्य राज्य विधानसभा से है,

(घ) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य में निर्वाचन नामावली के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के रूप में पदाभिहित किया गया हो,

(ङ) 'आयोग' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है,

(च) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी से है जिसे आयोग ने, राज्य सरकार के परामर्श से, जिले में वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने, पुनरीक्षण और प्रकाशन के लिये नाम निर्दिष्ट या पदाभिहित किया हो,

(छ) 'आकार पत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न आकार पत्रों से है,

(ज) 'नामावली' का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है,

3. नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन किया जाना—किसी नगरपालिका क्षेत्र में नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के संबंध में उपगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेशित के सिवाय, नगरपालिका—पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उसे वसूलीय होंगे।

---

1. विज्ञप्ति सं० 2614/9-6-1994 दिनांक 13 सितम्बर, 1995 जो कि उ०प्र० गज़ट साधारण भाग 4(ख) दिनांक 13-9-95 को प्रकाशित हुआ.

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, बोर्ड के लिये निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के लिये ऐसे व्यक्तियों को जैसा वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

5. नामावली का स्वरूप और भाषा—किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रपत्र में जिसमें नामावली विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है, तैयार की जायेगी।

6. नामावली का तैयार किया जाना—(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक बोर्ड के लिए प्रथम नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहाँ तक उसका संबंध उक्त बोर्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे बोर्ड के लिये नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन करने के लिये अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

7. नामावली का प्रारूप में प्रकाशन—(1) किसी वार्ड के लिये नामावली के तैयार हो जाने पर, यथाशीघ्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसकी एक प्रति प्रारूप में नगरपालिका के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराकर प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगरपालिका कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध रहेगी—

नामावली का पुनरीक्षण

8. किसी वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे—कोई व्यक्ति

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित न किया गया हो, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर दिया गया हो, या

(ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह हो, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया हो, किन्तु जो यह दावा करे कि उसकी अनर्हता को अब दूर कर दिया गया है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित कराने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आवेदन पर नियम-7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने की दिनांक से सात दिन के पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा—

किन्तु अग्रेसर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ—कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की नामावली में अंकित है, और—

(क) जो ऐसी प्रविष्टि के संबंध में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या

(ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रश्नगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 12-घ के अधीन अनर्ह हो गया है,

नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है—

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन जो अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे—(1) नियम-8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1-क में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदामिहित करें, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहाँ आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार, जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिए जायेंगे।

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1-ख में की जायेगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति यथास्थिति आकार पत्र 1-ग या 1-घ में की जायेगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1-ग या 1-घ में आपत्ति दो प्रतियों में की जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसके विरुद्ध आपत्ति की जाये।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति में जिसका नाम सम्मिलित किए जाने का उससे संबंध है या ब्यौरों को, जिसकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यौरे और उन आधारों को, जिस पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11. पदामिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया—नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदामिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12. कतिपय दावों और आपत्तियों का निरस्त किया जाना—नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रारूप पर या रीति में न दिया गया हो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13. नोटिस और उसकी तामीली—(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति को ग्राह्यता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसके दावे आपत्ति प्राप्त की गयी हों, अथवा दावे या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिनका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, आकार पत्र 1 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें स्थान व समय विनिर्दिष्ट अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन नोटिस, यदि संभव हो व्यक्तिगत रूप में तामील की जायेगी और व्यक्तिगत रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम निवास स्थान पर चस्पा करके तामील की जायेगी।

(4) व्यक्तिगत या अन्यथा तामील का प्रमाण पत्र, ऐसी तामील के तथ्य का निश्चायक प्रमाण समझा जायेगा।

14. दावों और आपत्तियों की जांच—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की; जिसके संबंध में नोटिस दिया गया हो, संक्षिप्त जाँच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार नामावली में कोई वृद्धि शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तद्नुसार की जायेगी—

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में, निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन किये जाने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व किसी प्रकार की ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं की जायेगी।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसको ऐसा नोटिस जारी किया गया हो और किसी अन्य व्यक्ति को जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसके लिये सहायक हो सकता है उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विवेक में,—

(क) किसी व्यक्ति से जिसको नोटिस दिया गया हो, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिलाने की अपेक्षा कर सकता है।

टिप्पणी—जांच के प्रयोजन के लिये निम्न 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

15. वार्ड के नामावली का अन्तिम प्रकाशन—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्पश्चात नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों को सूची के साथ गठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16. त्रुटियों की शुद्धि—आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा—(1) अधिनियम की धारा 12-च के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उस रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में की जाती है।

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 12--घ के अधीन ऐसी अनर्हता के हटाये जाने के पश्चात् ऐसे नामों का पुन: स्थापन यथासंभव उस रीति से किया जायेगा जैसी 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुन: स्थापन के लिये विहित की जाये।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप-नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को, इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए, वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो व्यक्ति नामावली का भाग हो में, किया जायेगा।

(4) जहाँ नियम 8 के खंड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम उस वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18. वार्डों के पुन: परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिये विशेष उपबन्ध—(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाय और यदि ऐसे वार्ड को नामावली की शीघ्र तैयारी आवश्यक हो तो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा—

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों जैसे नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित हों, की नामावली को साथ-साथ रखकर, और

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था क्रम संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी नयी नामावली के नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और नये प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

19. अधिनियम की नामावली का पुनरीक्षण—(1) अधिनियम की धारा 12-छ के अधीन किसी वार्ड के लिये नामावली का पुनरीक्षण या तो गहन रूप से या संक्षिप्त रूप से या अंशत: गहन रूप से और अंशत: नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हैं।

(2) जहाँ किसी वर्ष में ऐसी नामावली गहन रूप से पुनरीक्षित की जानी हो, वहां वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हैं।

(3) जहाँ किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्त रूप से तैयार की जानी हो वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ प्रारूप में छपवायेगा और नियम 6 से 16 के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जब अधिनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के प्रारूप में या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपयुक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में नामों को सम्मिलित करवायेगा।

20. आदेशों के विरुद्ध अपील—(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट की प्रस्तुत की जायेगी—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने अपने उन मामलों पर जो अपील की विषयवस्तु, है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसकी अभ्यावेदन करने के

अपने अधिकार का प्रयोग न किया हो वहां अपील नहीं की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील—

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेण्डल के प्रारूप में होगी;

(ख) विनिश्चय के दिनांक के सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जाय, और पांच रुपये शुल्क के साथ, जा—

(i) नान जुडीसियल स्टैम्प द्वारा, या

(ii) राजकीय कोषागार में जमा करके ऐसी जमा की रसीद के संलग्न करके, या

(ii) ऐसी अन्य रीति में जैसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाये प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील का प्रस्तुत किया जाना नियम 15 दो के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को रोकने या स्थगित करने का प्रभाव नहीं रहेगा।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहाँ तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता हो या उपान्तरित करता हो, वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे कि इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो।

प्रकीर्ण

21. नामावलियों की अवधि—नियम-6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 7 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 14, 16 और 18 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुये तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिये तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाये।

22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परीक्षण—(1) नियम-8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम-9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित स्थान जैसा मुख्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान, जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड के नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गयी नामावली के प्रवृत्त होने तक जो भी पहले हो रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियां उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगरपालिका कार्यालय में रखी जायेगी। इन प्रतियों को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि-प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियां, ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियां वार्ड की अगली नियमावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिये ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिये जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगरपालिका के अभिलेखों में जमा रखा जायेगा।

आकार पत्र-1

(नियम 13 देखिये)

नोटिस

सेवा में,

....

....

....

दावेदार/दावेदार का अभिकर्त्ता

आपत्तिकर्ता/ आपत्तिकर्त्ता का अभिकर्त्ता

विरोधी पक्षकार

नोटिस दी जाती है कि नगरपालिका:..................के वार्ड..............................नामावली के सम्बन्ध, में, आपके द्वारा आपके नाम को सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तुत दावे/आपत्ति की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समय दिनांक.........को.........स्थान.........(समय) पर होगी, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्य के साथ जिसे आप प्रस्तुत करना चाहें, उपस्थित हों,

''निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किये जाने पर जो आपत्ति की गई है उसकी एक प्रति साथ में भेजी जाती है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

को नोटिस मिली। जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील की जायेगी उसके हस्ताक्षर

*आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई।

** यदि नोटिस दावेदार या आपत्तिकर्त्ता या इनमें से किसी के अभिकर्त्ता पर तामील की जाये, तो उसे काट दिया जाये।

तामील करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट...

आकार पत्र 1-क

(नियम 8 और 10 देखिये)

नाम सम्मिलित किये जाने के लिये दावा/आवेदन पत्र

सेवा मे,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

...............................वार्ड

महोदय,

मै प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के भाग संख्या........................से संबंधित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाये।

मेरा नाम (पूरा) ....

मेरे पिता /माता/पति का नाम...

मेरे निवास स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित ....

मकान संख्या...

मार्ग/ मुहल्ला...

वार्ड...

नगर...

मैं एतद्द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि..............................

(एक) मैं भारत का नागरिक हूँ...

(दो) मेरी आयु गत पहली जनवरी को...............वर्ष और...............मास थी,

(तीन) मैं ऊपर दिये गये पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ,

(चार) मैंने किसी अन्य वार्ड की नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन नहीं किया है,

(पाँच) मेरा नाम इस या किसी अन्य वार्ड को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

या

मेरा नाम...............वार्ड की निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित पते के अधीन सम्मिलित किया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको उक्त निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाये।

....

स्थान.................. ....

दिनांक-................ दावेदार के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिससे दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन किया है अर्थात्.................................से संबंधित भाग संख्या.................................जिसमें मेरी क्रम-संख्या.....................................है। मैं इस दावे का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम)...............

आकार पत्र 1-ख

(नियम 9 और 10 देखिये)

किसी प्रविष्टि में दिये गय ब्यौरे पर आपत्ति

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

..............................वार्ड

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे संबंधित प्रविष्टि जो वार्ड संख्या..............................की नामावली के भाग..........................में क्रम संख्या...........................पर "..............................." इस रूप में, है, शुद्ध नहीं है। इससे शुद्ध किया जाय जिससे ब्यौरे निम्न प्रकार से पढ़े जाएँ।

....

....

....

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान.............

दिनांक............

आकार पत्र 1-ग

(नियम 9 और 10 देखिये)

नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

..............................वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या...............की नामावली के भाग...............में क्रम-संख्या..पर...के नाम को सम्मिलित किये जाने पर मैं निम्नलिखित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ:—

"..

...."

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

पूरा नाम..

पिता/पति/माता का नाम..

क्रम-संख्या..

भाग संख्या..

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

डाक का पता

दिनांक 19

....

मैं वार्ड संख्या............................की नामावली के उसी भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है वह नाम है

अर्थात्..............................से सम्बन्धित..

भाग संख्या...जिनमें मेरी क्रम संख्या...............................

है। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूं।

निर्वाचक के हस्ताक्षर.................

पूरा नाम..............................

आकार पत्र 1-घ

(नियम 9 और 10 देखिये)

नाम के रखने पर आपत्ति

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

..............................वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या............................की नामावली के भाग...

में क्रम संख्या..............................पर.............................के नाम का रखने पर मैं इस आधार पर आपत्ति करता हूँ कि वह अधिनियम की धारा 12-घ के अधीन उस वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये निम्नलिखित कारण/कारणों से अनर्ह हो गया है—

"...

...."

स्थान.................. आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक................ डाक का पूरा पता......................

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार है, उस वार्ड के लिये नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है—

पूरा नाम...

पिता/पति/माता का नाम...

क्रम संख्या...

भाग संख्या...

आपतिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

डाक का पता.........................

दिनांक.....................

....

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वार्ड संख्या..................................की नामावली के भाग संख्या..............................में क्रम संख्या..............................पर मै नामांकित किया गया एक निर्वाचक हूँ। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

(पूरा नाम)..........................

दिनांक..............................

आकार पत्र-2

[नियम 14(4) देखिये]

दावों और आपत्तियों की सूची के लिये प्रपत्र

नगरपालिका.........................

वार्ड................................

दावों और आपत्तियों की सूची

दावा/ आपत्ति की क्रम संख्या	प्रस्तुत करने का दिनांक	दावेदार/आपत्तिकर्ता का नाम	विनिश्चय का दिनांक	परिणाम
1	2	3	4	5